संख्या- 11/2026 /49-3002(002)/2/2022 (I/1244411/2026)

प्रेषक:

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 19 फरवरी, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- I/ 449749/2026/लेखा-अ/2025-26/आय-व्ययक, दिनांक 04.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन राजस्व मद में लेखाशीर्ष- "2425-सहकारिता, 107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता 10- प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर **फसली** ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान, 27-सब्सिडी " में प्राविधानित धनराशि रूपये 52509.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 4000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-18 के अधीन राजस्व मद में लेखाशीर्ष "2425- सहकारिता, 107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, 10- प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हुतु अनुदान, 27- सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रूपये 52509.00 लाख के परिप्रेक्ष्य में सहकारिता अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1/995079/2025, दिनांक 16 जून, 2025 के माध्यम से प्रथम चरण में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि रू0 40000.00 लाख के निर्गतोपरांत अवशेष धनराशि रूपये 12509.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय चरण में धनराशि रूपये 4000.00 लाख (रूपये चालीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की अधोलिखित नियम/शतों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम / शर्ते/प्रतिबंध :-</u>

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाएगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के दौरान योजना से सम्बंधित दिशा-निर्देश/गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। 3. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के दौरान वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता का अनुपालन किया जाएगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि के अहरण एवं व्यय के दौरान यथा आवश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन मदों/कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी है, उसी मद/कार्य में व्यय की जाएगी। निर्धारित मद/कार्य से इतर व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

6. संदर्भगत योजना हेतु निर्धारित ब्याज दर पर फसली ऋण की प्रतिपूर्ति समय से सुनिश्चित न होने पर अतिरिक्त देयता यदि निर्धारित होती है, तो उसके वहन किये जाने का दायित्व सहकारिता उ०प्र०, लखनऊ का होगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के अहरण एवं व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस सबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 4000.00 लाख (रूपये चालीस करोड़ मात्र) को चालू, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 18 के अधीन लेखाशीर्ष: 2425001071000- प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान मानक मद-27 (सब्सिडी) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तयत प्रतिनिधानित अधिकार अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय उ०प्र० लखनऊ। प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।
5) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिए, लखनऊ।
6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
7) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।